

2-3-2023  
"संज्ञा-माला"

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

कमांक : प.8(ड)(का.भा.)डीएलबी/23/5468

दिनांक: 9-5-2023

आदेश

श्री विमल चन्द महावर, सभापति नगर परिषद सवाईमाधोपुर को विभागीय आदेश कमांक श्री विमल चन्द महावर सभापति, नगर परिषद सवाईमाधोपुर को विभागीय आदेश कमांक प. 2(च)( )एसीबी/एफआईआर नंबर 424/22/जांच/डीएलबी/22/145-157 दिनांक 31.03.23 द्वारा सभापति एवं सदस्य के पद से निलम्बित किया गया है। नगर परिषद सवाईमाधोपुर में सभापति का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है।

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50 (1)(i)(क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमति राजबाई बैरवा सदस्य वार्ड सं. 53 को सभापति नगर परिषद सवाईमाधोपुर के पद का कार्यभार 60 दिवस से अनधिक की कालावधि अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश, जो भी पूर्व हो तक के लिए सभापति के पद का कार्यभार ग्रहण करने हेतु एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

( हृदेश कुमार शर्मा )

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

कमांक : प.8(ड)(का.भा.)डीएलबी/23/5469-5482

दिनांक: 9-5-2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर ।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
04. संभागीय आयुक्त भरतपुर /जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर ।
05. निदेशक /अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज. राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6 ( ) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ ।
06. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय जयपुर ।
07. उपनिदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग भरतपुर ।
08. उपखण्ड अधिकारी, सवाईमाधोपुर ।
09. श्रीमति राजबाई बैरवा सदस्य वार्ड सं. 53 नगर परिषद सवाईमाधोपुर ।
10. आयुक्त नगर परिषद सवाईमाधोपुर ।
11. प्रोग्रामर (आई टी सैल ) निदेशालय को अपलोड करने हेतु ।
12. सुरक्षित पत्रावली ।

(संजय माथुर)  
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी